


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</p>
<p>13/2/20</p>	<p>पत्रां माण्ड न्यायालय श्रीमान् जज प्रवन्धन अधिकारी एवं जेदन राजसव अपील प्राधिकारी भरतपुर से प्राप्त होने पर दफ्तर से पेश हुई मां न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 30.9.24 में अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार कर प्रकरण में न्यायालय उपायुक्त अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिफ़ी दिनांक 29.3.2005 अग्रस्त कर पत्रां पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया गया है। पत्रां पुनः दर्ज रजिस्टर की जाये। इतना लिखते के पश्चात वादिका विनया देवी की ओर से अधिव. शेष कुमार शर्मा द्वारा बका प्रमाण 023 R1 पर वास्ते विद्वी किए जाने का मस वकालतनामा पेश किया। वकील वादिका द्वारा प्रमाण प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादिका काफ की भागे कन्टैस्ट करना नही चाहती है वादिका काफ की वापिस लेना चाहती है। प्रमाण के अन्त में वादिका का काफ इसी स्तर पर खारिज। वापिस लिए जाने का कल निवेदन किया है।</p> <p>इतने वकील वादिका को पुनः पत्रां का अद्यतन किया वकील वादिका द्वारा अग्रस्त के मस वकालतनामा लेना वास्ते करते हुए प्रमाण को कन्टैस्ट नही करना अद्यतन किया है तथा प्रमाण। काफ इसी स्तर पर खारिज कराने का कल निवेदन किया है।</p> <p>अतः वकील वादिका की बका प्रमाण पर वादिका का काफ इसी स्तर पर खारिज किया जात है पत्रां केसक अग्रस्त होकर वापिस दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">  उपायुक्त अधिकारी धौलपुर </p>	<p>निष्ठा देवी पट्टियान</p>